न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 208/13/दावा

1. सीताराम उर्फ कमलकुमार उम्र 45 वर्ष
2. जगदीश प्रसाद उम्र 40 वर्ष
3. विनोद कुमार उम्र 30 वर्ष

} पुत्रगण बद्रीप्रसाद

4. रामदुलारी आयु 65 वर्ष धर्मपत्नी स्व. बद्री प्रसाद (मृत–हजफ)

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. जगदीश आयु 46 वर्ष
2. अशोक आयु 42 वर्ष

} पुत्रगण श्री मोहनलाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण मुण्डियावास हाल निवासी सी/ओ ए.एम. जोशी बी. 503 गोलो हारवेस्ट बिल्डिंग कोसी पार्क मीरा भायन्दर रोड़, ईस्ट बम्बई (महाराष्ट्र)

3. गिरीश आयु 44 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डियावास हाल निवासी सी/ओ धानुकरबाड़ी पटेल बेसमेंट बहार बिल्डिंग फ्लेट नम्बर 5 गोरवेल रोड़ धानुकर बाड़ी (वेस्ट) बम्बई – 400067(महाराष्ट्र)
4. राजेश कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. कमलादेवी आयु 75 वर्ष धर्मपत्नी स्व. श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

वाद उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति–

1. श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 27.07.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख.नं. 379, 380, 394, 394/726, 399/746, 406/745 किता 6 कुल रकबा 4.76 है0 ग्राम मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है तथा वादी व प्रतिवादीगण ग्राम मुण्डियावास के निवासी है जिनके पुराने खसरा नं. 151 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा है। उक्त भूमियों में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने स्वयं व प्रतिवादी सं. 4 के पिता व प्रतिवादिनी सं. 5 के पति रामेश्वर ने वादीगण के पिता बद्री प्रसाद शर्मा को अपना 3/4 हिस्सा संपूर्ण का बेचान कर दिनांक 27.07.1994 को संपूर्ण विकय राशि प्राप्त कर विकय पत्र पंजीकृत करवा दिया तथा कब्जा वादीगण के पिता को संभला दिया

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

जिसके बाद निरंतर पहले अपने पिता के साथ व पिता ब्रदी प्रसाद की मृत्यु के बाद स्वयं वादीगण के कबजे काश्त व अधिकार में चली आ रही है। वादीगण के पिता द्वारा पटवारी हल्का को विक्रय पत्र की प्रति ना.करण हेतु दे दी थी। इस प्रकार वे आश्वस्त हो गये थे कि खातेदारी में अंकन हो गया होगा एवं इसी दौरान दिनांक 02.03.1996 को उनका स्वर्गवास हो गया। वादीगण को भी कब्जे काश्त व उपयोग में किसी के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई इस कारण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 05.06.2013 को वादीगण को कृषि भूमियों पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु कृषि भूमियों की नकलें प्राप्त की गई तब जानकारी हुई कि विवादित कृषि भूमियों की खातेदारी में विक्रय पत्र के आधार पर अंकन ही नहीं हुआ है। तब वादीगण ने तहसीलदार, दांतारामगढ के यहां प्रार्थना पत्र दिनांक 10.6.2013 को पेश किया तब तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई एवं विक्रेतागण द्वारा ना.करण वादीगण के हक में करने हेतु सहमति पत्र भी तहसीलदार जी के समक्ष पेश कर दिया गया। संपूर्ण प्रलेख व रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद तहसीलदार जी ने दिनांक 10.9.2013 को वादीगण को कहा कि विक्रय पत्र सन् 1994 का है इस कारण सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां कार्यवाही करों, इस प्रकार दावा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के द्वारा अपने हिस्से की भूमियों का संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिनांक 27.7.1994 को वादीगण के पिता के हक में विक्रयय पत्र पंजीकृत कर कब्जा संभलाने व तद्परान्त निरंतर कब्जे काश्त व उपयोग तथा उपभोग के कारण वादीगण खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है। तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 27.7. 1994 व निरंतर कब्जे कोश्त व उपयोग तथा उपभोग एवं बावजूद प्रतिवादीगण की सहमति ना.करण तस्दीक कर खातेदारी में वादीगण के नाम अंकित करने से दिनांक 10.9.2013 को मना करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादीगण के अलावा अन्य हिस्सेदारान सह कृषकों, खातेदारों के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा दावा डिकी किये जाने पर उनके हितों के खिलाफ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि दावा बंटवारे का नहीं है मात्र विकीत भूमियों की खातेदारी अधिकार है। राज्य सरकार भूमिधारी है अतएवं जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर उद्घोषणा इस आशय की की जारी की जावें कि भूमि खसरा नं. 379, 380, 394, 394/726, 399/746, 406/745 किता 6 कुल रकबा 4.76 है. (पुराने ख.नं. 151) वाके ग्राम मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रतिवादीगण के 3/4 हिस्स का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण का नाम खाता खातेदारी से विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावें। वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2066–69, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 27.7.1994, असल सहमति पत्र, फोटो प्रति पेनकार्ड जगदीश

जोशी फोटो प्रति पेनकार्ड अशोक जोशी, फोटो प्रति पेनकार्ड राजेश कुमार, आवेदन तहसीलदार, दांतारामगढ मय रिपोर्ट पटवारी, प्रमाणित प्रति खसरा मिलान, प्रमाणित प्रति संवत् 2042–44, मृत्यु प्रमाण पत्र बद्री प्रसाद शर्मा पेश किये गये।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य शपथ पत्र वादी विनोद कुमार पुत्र श्री बद्री प्रसाद द्वारा पेश किया गया एवं दस्तावेजात एक्जी. किये गये। साक्ष्य/शपथ पत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू'2 सुगनसिंह पुत्र बन्नेसिंह, पीडब्ल्यू–2 सुरजनसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह के पेश किये गये।

3. बहस वकील वादीगण की एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 27.7.1994 के अनुसार वादीगण के नाम उद्घोषणा की जावें एवं प्रतिवादी गण का नाम हजफ किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2042–45 के अनुसार खातेदार सुण्डाराम ने अपना हिस्सा बेचान किये जाने पर जरिये ना.करण 334 दिनांक 15.5.90 के द्वारा खाता मोहनलाल पुत्र तुलसीराम हि. 1/2 रामेश्वर बद्रीप्रसाद पि. तुलसीराम हि. 1/2 हि.ब. दर हि. 5 बीघा 15 बिस्वा स्वीकार हुआ बाकी 13 बीघा 2 बिस्वा बदस्तूर साविक रहा। विक्रय पत्र दिनांक 27.07.94 के द्वारा खातेदार रामेश्वर पुत्र श्री तुलसीराम, जगदीश, गिरीश, ओमप्रकाश उर्फ अशोककुमार पुत्रगण स्व. श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम मुण्डियावास द्वारा विवादित आराजियात ख.नं. 151 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा में से अपने हिस्से 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से हिस्से 3/4 की 4 बीघा सवा 6 बिस्वा भूमि संपूर्ण का बेचान बद्रीप्रसाद पुत्रश्री तुलसीराम जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डियावास को कर दिया गया। वर्तमान खातेदार भगवानी देवी की मृत्यु दिनांक 22.04.12 को हो चुकी है। केता बद्रीप्रसाद पुत्रश्री तुलसीराम की मृत्यु 02.3.1996 को हो चुकी है। उक्त विकय पत्र का अभी तक ना.करण नहीं खुला हुआ है। उपरोक्त विवरण अनुसार केता बद्रीप्रसाद की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजियात पर वादीगण काबिज काश्त है तथा विकेता प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 द्वारा सहमति/शपथ पत्र पेश किया हुआ है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि 379, 380, 394, 394/726, 399/746, 406/745 किता 6 कुल रकबा 4.76 है. (पुराने ख.नं. 151) वाके ग्राम मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से वादीगण को 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा खातेदार जगदीश, गिरीश, अशोक पि. मोहनलाल, भगवानी बेवाह मोहनलाल ब.हि.ब. हि. 1/2 व रामेश्वर हि. 1/4 दर हि. 5 बीघा 15 बिस्वा कौम ब्राह्मण सा.देह का नाम हजफ

किया जाता है। शेष मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेंगे। पर्चा डिकी जारी हो। तदनुसार तहरीर जारी हो। मिसल बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 27.07.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
डपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दा...

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6—7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर.बागड़िया, आरएएस

सीताराम उर्फ कमलकिशोर आदि बनाम जगदीश आदि

दावा बाबत उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राजात

मुकदमा नं0 208/दावा/2013 निर्णय दिनांक 27.7.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुद्दई —— मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि 379, 380, 394, 394/726, 399/746, 406/745 किता 6 कुल रकबा 4.76 है. (पुराने ख.नं. 151) वाके ग्राम मुण्डियावास प.मं. सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण को 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा खातेदार जगदीश, गिरीश, अशोक पि. मोहनलाल, भगवानी बेवाह मोहनलाल ब.हि.ब. हि. 1/2 व रामेश्वर हि. 1/4 दर हि. 5 बीघा 15 बिस्वा कौम ब्राह्मण सा.देह का नाम हजफ किया जाता है। शेष मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेंगे। पर्चा डिकी जारी हो। तदनुसार तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग......... बाबत .... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 जुलाई सन् 2015 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	8	00			
मीजान	13	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 208/13/दावा

1. सीताराम उर्फ कमलकुमार उम्र 45 वर्ष } पुत्रगण बद्रीप्रसाद
2. जगदीश प्रसाद उम्र 40 वर्ष
3. विनोद कुमार उम्र 30 वर्ष
4. रामदुलारी आयु 65 वर्ष धर्मपत्नी स्व. बद्री प्रसाद (मृत–हजफ)

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. जगदीश आयु 46 वर्ष } पुत्रगण श्री मोहनलाल
2. अशोक आयु 42 वर्ष

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण मुण्डियावास हाल निवासी सी/ओ ए.एम. जोशी बी. 503 गोलो हारवेस्ट बिल्डिंग कोसी पार्क मीरा भायन्दर रोड़, ईस्ट बम्बई (महाराष्ट्र)
3. गिरीश आयु 44 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डियावास हाल निवासी सी/ओ धानुकरबाड़ी पटेल बेसमेंट बहार बिल्डिंग फ्लेट नम्बर 5 गोरवेल रोड़ धानुकर बाड़ी (वेस्ट) बम्बई – 400067(महाराष्ट्र)
4. राजेश कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. कमलादेवी आयु 75 वर्ष धर्मपत्नी स्व. श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

वाद उदघोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति–

1. श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 27.07.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,